Despatches to Cement Industry from CIL & SCCL during the period April-October, 1995 were 5.79 million tonnes (provisional) Despatch to other industries in this period has been 22.34 million tonnes (provisional).

(c) and (d) Eastern Coalfields Limited (ECL) have reported that they had applied pro-rata cuts to non-core sector consumers drawing coal by rail or by road. These outs are applied after assessing the likely availability of coal after meeting the requirement of core sector consumers and are uniformly applied to all non-core sector consumers.

राशन कार्डों पर दी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करने का प्रस्ताव

28. **श्री रामजीलाल:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डों पर दी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान करती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है और क्या गैस-कनैक्शन का पंजीकरण भी राशन कार्डों के आधार पर किया जाता है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन संबंधी पहलुओं जैसे जिलों तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को उप-आवंटन करना आदि के बारे में निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सामान्य आवंटन के अलावा 32 लाख मी० टन खाद्यानों का अतिरिक्त आवंटन कर रही है ताकि वे संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिज्ञात क्षेत्रों के आवंटन में वृद्धि कर सकें। गैर-आदिवासी बहुल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली खण्डों के भीतर आने वाले शहरी क्षेत्र विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के लिए पात्र नहीं हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए चावल और गेहूं विशेषतौर पर राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50/- रु० प्रति क्विंटल कम होते हैं।

Steps to Assist Exporters

29. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what steps are being taken to provide greater financial, administrative infrastructural and political support to exporters to encourage country's foreign trade;

(b) the total foreign exchange earned during the current financial year and how does it compare with the earnings of the previous year; and

(c) the steps taken by Government to ensure that the concessions given by Government to boost export of Indian products are not misused by the exporters?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Export activity is being given top priority by the Government. Credit is made available to exporters in foreign currency at LIBOR related rates. Policy and procedures are being made export friendly and Exporters Redressal Cell is functioning to help address the grievances of exporters. An inter-ministerial Committee is functioning in the Ministry of Commerce to provide a single window clearance to the proposals for setting up of Inland Container Depots/Container Freight Stations. Private Sector participation has also been allowed in such ventures. Export promotion is a